Sickle Cell Institute Chhattisgarh, Raipur

(An Autonomous Institute of Govt. of Chhattisgarh)

TENDER DOCUMENTS

Tender Ref. No./ 112 /SCIC/Purchase/2021 Raipur Date-२७/ १२/2021

Tender Submission of Last Date :-२९/०१/~~2021~~ 2022 at 3.00P.M.

Tender Opening on Dated :-२९/०१/~~2021~~ 2022 at 4.00 P.M.

RATE CONTRACT OF SECURITY & HOUSE KEEPING

24-12-21 24-12-21 24-12-21 24/12/21

(2)

कार्यालय सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/सि.से.सं.छ.ग./क्रय/112 रायपुर दिनांक 27/12/~~2014~~ 2021

सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना एवं शर्ते

सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में चल एवं अचल संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर देने हेतु अनुभवी सुरक्षा कम्पनियों से छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमानुसार निविदाये आमंत्रित की जाती हैं।

1.केवल वे ही अनुभवी कम्पनियॉ/एजेंसियां भाग ले सकती है जिनके पास शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय वृहद संस्थान में सुरक्षा कार्य का कम से कम **दो वर्ष** का अनुभव हो एवं यह अनुभव सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में किये जाने वाले कार्य के स्वरूप के बराबर या अधिक हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनिमय) नियम 2008 के अंतगर्त छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी लाइसेंस हो।

2. निविदा में चयन का आधार चालू ठेका के कार्य की गुणवत्ता होगी।

3- **निविदा 3 Envelope निविदा पद्धति के अंतर्गत आमंत्रित की जाती हैं।**

i- प्री–क्वालीफिकेशन बिड
ii- टेक्नीकल बिड
iii- प्राइस बिड

1.प्री–क्वालीफिकेशन बिड :–

निम्नलिखित दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। अस्पष्ट एवं अपठनीय दस्तावेजों को अमान्य कर दिया जायेगा।

1. कंपनी/एजेंसी का नाम पूर्ण पता, दूरभाष, ई–मेल/फेक्स क्रमांक सहित। (फ्रूफ सहित–इलेट्रिकल बिल/टेलीफोन बिल)

2. कंपनी/एजेंसी के मालिक/भागीदारों का नाम पूर्ण पता, दूरभाष, ई–मेल/फेक्स क्रमांक सहित। (फ्रूफ सहित–इलेट्रिकल बिल/टेलीफोन बिल)

3. धरोहर राशि पचास हजार रुपये की एक वर्ष की अवधि की बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम से हो की छाया प्रति/स्केन प्रति।

23/12/21 24/12/21 24-12-21 24/12/21

4. कंपनी / एजेंसी का विगत 3 वर्षो का सी. ए. द्वारा प्रदत्त टर्न ओव्हर।

5. कंपनी / एजेंसी का ई पी एफ का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट कोड सहित।

6. छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा जारी लाइसेंस।

7. छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी PSARA (PRIVATE SECURITY AGENCY REGULATION ACT) REGISTRATION CERTIFICATE.

8. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस / गुमास्ता प्रमाण पत्र।

9. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट।

10. परिशिष्ट एक के अनुरूप शपथ पत्र (निर्धरित प्रोफार्मा में)।

11. परिशिष्ट दो के अनुरूप शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय वृहद संस्थान में सुरक्षा कार्य का <u>दो वर्ष</u> का अनुभव एवं परफार्मेस सर्टीफिकेट।

12. गत वित्तीय वर्ष में जमा किए ई.पी.एफ के चालान की कापी।

13. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

14. Power of attorney / authorization for signatory. (if required)

15- गत वर्ष का आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट।

16. आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट।

17. टेंडर फीस रु. 1000 / – का डी.डी.।

ii टेक्नीकल बिड –

1- कंपनी / एजेंसी में उपलब्ध प्रशिक्षित (Trained) सुरक्षा गार्ड की सूची ट्रेनिंग सर्टीफिकेट फोटो सहित एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र देना होगा।
2- कंपनी / एजेंसी में उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की सूची फोटोयुक्त पहचान पत्र सहित देना होगा।

2. महानिदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा निविदकर्ता के चालू ठेके के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा और कार्य की गुणवत्ता के आधार पर समिति द्वारा अनुशंसित निविदाकारों की प्राइस बिड खोली जायेगी।

iii प्राइस बिड

3.निविदाकर्ता को 50,000 / – पचास हजार रुपयें की अर्नेस्ट मनी एक वर्ष हेतु एफ.डी के रूप में किसी भी शेड्यूल बैंक का जो महानिदेशक सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर के पक्ष में देय हो, को निविदा लोड करने की अंतिम तिथि तक कार्यालय में

एक सील बंद लिफाफे में जिसके ऊपर सुरक्षा निविदा लिखा हो, जमा करना होगा।

4.छत्तीसगढ़ शासन के सभी भंडार कय नियम लागू रहेगें।

5. निविदाकर्ता को छत्तीसगढ़ शासन/शासन के किसी भी विभाग की काली सूची में नही होना चाहिए (BLACK LISTED)। काली सूची में नाम होने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

6. निविदाओं को न्यूनतम 1, 2, 3 के आधार पर निर्णय किया जायेगा । महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर की क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम एल–1 से दर एवं शर्तों पर निगोशियेट कर सकेंगे।

7. निविदाकार को मांगे जाने पर मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

8.निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व स्वयं के व्यय पर स्थल निरीक्षण किया जा सकता है एवं इस संबंध में यदि अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहता हो तो महानिदेशक कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

9.निविदाकर्ता को श्रम कानूनो का पालन करना होगा ।

10.निविदाकर्ता को भविष्य निधि नियमों का पालन करना होगा एवं सभी कर्मचारियों का जिन्हे वो नियोजित करेगा का ई पी एफ प्रति माह ई पी एफ खाते में जमा कराना होगा तथा रसीद/चालान की छाया प्रति महानिदेशक कार्यालय में प्रति माह जमा करना होगा।

11.किसी भी दिन निर्धारित संख्या से कम कर्मचारी अनुपस्थित नहीं रहेंगें अन्यथा रूपये 300/– प्रति व्यक्ति की दर से दण्ड राशि देयक से कटौती की जावेगी ।

12.निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरे गये दर राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए होना चाहिये।

13. निविदाकर्ता के पास अनुभव संस्थान में किये जाने वाले कार्य के स्वरूप बराबर या अधिक होना चाहिए। कम कार्य के अनुभव वाले निविदाकर्ताओं की निदिा पर विचार नही किया जायेगा।

14.ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाएं अस्वीकृत की जाती है तो उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटायी जायेगी ।

15.निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत की राशि जब्त कर ली जावेगी ।

24/12/21 24/12/21 24-12-21 24.12.21

16. महानिदेशक द्वारा किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना निविदाकर्ताओं को कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

17. ऐसी निविदाएं जो सशर्त प्रस्तुत की गई हों स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

18. सुरक्षा ठेका एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जायेगा। ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार एक वर्ष या अधिक समय के लिये इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी ।

19. यदि कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान अथवा किसी कर्मचारियों को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रबंधन द्वारा उक्त कर्मी को ठेकेदार की ओर से सीधा भुगतान कर दिया जायेगा एवं ऐजेंसी से उक्त राशि वसूल की जावेगी । श्रम कानूनों के अंतर्गत निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने की जवाबदारी एजेंसी की होगी ।

20. दोनो पक्षों में से कोई भी पक्ष सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु कंपनी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि जांच के पश्चात् सुरक्षा ठेका निरस्त कर सकेगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी ।

21. कंपनी को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व प्रबंधन से अनुमति लेना आवश्यक होगा । किसी भी सुरक्षा कर्मी के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने की स्थिति में प्रबंधन द्वारा सूचना दिये जाने की स्थिति में एजेंसी द्वारा उक्त कर्मी को तत्काल हटाना होगा ।

22. कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स देगी । यह भुगतान श्रमायुक्त/जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगें ।

23. यदि किसी अधिनियम के उल्लंघन बाबत् प्रबंधन को नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई आर्थिक दण्ड निर्धारित किया जाता है तो प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि उक्त राशि कंपनी को भुगतान किये जाने वाले देयक में समायोजित करें।

24. कंपनी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की यूनियन की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा । यदि कोई भी कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेता पाया जाता है तो उक्त कर्मी को तत्काल हटाना होगा।

25.संस्थान द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये प्रभावी कदम उठाने हेतु कंपनी उत्तरदायी होगी ।

24/12/21 24/12/21 24-12-21 24.12.21

26. कंपनी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्रबंधन को सुरक्षा ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा ।

27. कंपनी द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख रखाव सुनिश्चित करना होगा एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा, ताकि ऐसी घटनायें घटित होने पर त्वरित गति से काबू पाया जा सके ।

28. प्रबंधन को अनुबंध की शर्तों को संशोधित करने निरस्त करने एवं नई शर्तों को जोड़ने का अधिकार होगा। इसके लिये बिना कारण बताये एक माह की पूर्व सूचना कंपनी को दी जावेगी ।

29. प्रबंधन के परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है । यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंधन को स्वविवेक से कंपनी पर जुर्माना करने का अधिकार होगा ।

30. कंपनी अपने कर्मचारियों के ई.पी.एफ. आदि अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण रिकार्ड ऐजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड प्रबंधन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

31. सुरक्षा कर्मियों की संख्या प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जावेगी । यह संख्या प्रबंधन द्वारा स्वविवेकानुसार समय–समय पर घटाई बढ़ाई जा सकेगी ।

32. समस्त विवाद रायपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही निपटाये जावेंगें ।

33. कंपनी को कान्ट्रेक्ट लेबर रेगूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट/पी.एफ. एक्ट/न्यूनतम वेतन अधिनियम/बोनस एक्ट व लागू होने वाले अन्य समस्त श्रम नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा । सम्बंधित श्रम निरीक्षक/पी.एफ. निरीक्षक द्वारा समय–समय पर मांगे जाने पर रिकार्ड का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा । यदि एजेंसी इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी दशा में प्रधान नियोक्ता के नाते प्रबंधन द्वारा एजेंसी पर की गई पेनाल्टी शासकीय खाते में जमा कर दी जावेगी जिसकी प्रतिपूर्ति एजेंसी की देयक राशि/प्रतिभूति राशि से कटौती कर की जावेगी ।

34. सफल निविदाकार को सभी सुरक्षा कर्मियों का ई.पी. एफ कार्यालय द्वारा प्रदत्त ई. पी. एफ नंबर की लिस्ट एक माह के अंदर जमा करना होगा अन्यथा अनुबंघ निरस्त कर दिया जायेगा।

35. कंपनी/एजेंसी को ESI एक्ट 1948 का पालन करना होगा एवं स्वयं एवं कर्मचारियों के ESI अंशदान को नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगा। तथा रसीद/चालान की छाया प्रति महानिदेशक कार्यालय में प्रतिमाह जमा करना होगा। कंपनी/एजेंसी को सभी कर्मचारियों को दिए पहचान पत्र की छायाप्रति एक माह के

24/12/21 24.12.21 24/12/21 24.12.21

अंदर जमा कराना होगा।

36. महानिदेशक के द्वारा गठित समिति द्वारा निविदाकर्ता के चालू ठेके के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा ।

37. निविदकर्ता द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की जगह कार्यादेश लगाने पर अमान्य कर दिया जायेगा।

38. भुगतान शर्तें :– कंपनी/एजेंसी द्वारा संस्थान में सुरक्षा कार्य के लिये रखे गये कर्मचारियों के गत माह के लिये जमा किये EPF के चालान की, ESI अंशदान की जमा राशि रसीद की प्रमाणित छायाप्रति जमा करने पर ही चालू माह का भुगतान किया जावेगा।

39. कंपनी/एजेंसी अपने कर्मचारियों के वेतन व अन्य का भुगतान देयक के भुगतान की प्रत्याशा में प्रतिमाह 01 से 05 तारीख तक बैंक चेक के माध्यम से स्वयं के स्रोतों से अनिवार्यतः करेगा। ऐसा नही किये जाने पर कांट्रेक्ट को निरस्त करने का अधिकार महानिदेशक को रहेगा।

40. निविदाकर्ता को छत्तीसगढ़ शासन के न्यूनतम वेतन नियम कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा इन नियमो का पालन नही किया जावेगा उनकी निविदा अमान्य करने का अधिकार महानिदेशक को रहेगा।

41. निविदाकर्ता को नियमानुसार सर्विस टेक्स संबंधित विभाग को जमा करना होगा एवं जमा किये टेक्स की सत्यापित रसीद को प्रतिमाह कार्यालय में जमा करना होगा।

42. एडीशनल फोल्डर में लोड किये गये प्री–क्वालीफिकेशन बिड के डाक्यूमेंट पर कोई विचार नही किया जावेगा।

43. कर्माचारियों को निर्धारित ड्रेस कोड व आई.डी. सहित प्रत्येक कार्यदिवस में आना होगा। अन्यथा उन्हे अनुपस्थित माना जायेगा व चेतावनी के बाद भी न आने पर कार्य से निकालना होगा।

44. निविदादाता द्वारा सभी नियमों का पालन करते हुए प्राइस बिड भरना होगा। यदि उसके द्वारा भरी राशि न्यूनतम राशि से कम होगी तो प्राइस बिड को मान्य नही किया जायेगा। प्राइस बिड में दी गयी दर में Wages, EPF, ESI, Service Tax, Company Charges इत्यादि सभी शामिल रहेंगे।

45. निविदाकार्ता के पास सुरक्षाकार्य का अनुभव संस्थान में किये जाने वाले कार्य के स्वरूप बराबर या अधिक होना चाहिए। कम कार्य के अनुभव वाले निविदाकार्ताओं की निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

24/12/21 24-12-21 24/12/21 24.12.21

46. **सुरक्षा कंपनी/एजेंसी द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीटयूट से ट्रेनिंग प्राप्त किया होना चाहिए।**

47. सुरक्षा एजेंसी प्रतिमाह भुगतान देयक तीन प्रतियों में उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करेंगे, जो कि कार्य के उपरांत आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाना चाहिए।

कार्य की प्रकृति विस्तार एवं शर्ते :-

(1) सुरक्षा एवं व्यवस्थाः-

(क) सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण परिसर में सुरक्षा का प्रबंध योजना अनुसार उचित प्रबंध करना होगा।

(ख) कम्पनी को उपरोक्त व्यवस्था हेतु आठ घंटे की तीन पालियों में चौबीसों घंटे हेतु सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी।

(ग) सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत कम्पनी को भवन एवं परिसर में व उनमें कार्यरत कर्मचारियों तथा रोगियों और उनके परिजनों के जानमाल की एवं परिसर के समस्त चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।

(घ) कम्पनी का यह भी कर्तव्य होगा कि भवन एवं प्रांगण में व्यवस्था बनाये रखने में प्रशासन की सहायता करें तथा वाहन आदि निश्चित स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखें जावें।

(ङ) कम्पनी द्वारा संस्थान परिसर में किसी अवांछित वस्तुओं का प्रवेश एवं निर्गमन प्रतिबंधित किया जायेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान प्रशासन की सक्षम स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री का प्रवेश अथवा निर्गमन न हो। शंका के मामले में सुरक्षा अधिकारी आगंतुकों द्वारा लाई जा रही अथवा बाहर ले जा रही सामग्रियों, बैग, वाहन इत्यादि की जांच कर सकेगा तथा शंकास्पद अथवा अवैधानिक सामग्री पाये जाने पर सक्षम अधिकारी को सूचित करेगा, ताकि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके। ऐसी कार्यवाही कराने में कम्पनी एवं उसके सुरक्षाकर्मी का सहयोग अनिवार्य होगा।

(च) बिना किसी उचित कारण के अथवा संदेहास्पद स्थिति में परिसर में घूमने वालों से पूछताछ कर आवश्यक एवं उचित कार्यवाही करनी होगी। परिसर में विचरण करने वाले व्यक्तियों पर उचित निगरानी रखनी होगी।

छ) कम्पनी का यह भी दायित्व होगा कि परिसर के अनाधिकृत उपयोग एवं दुरूपयोग रोकने में प्रशासन की सहायता करें। उसे वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग रोकने व ठेला या दुकान लगाने अथवा अन्य साग्रियों के विक्रय हेतु

व्यक्तियों के बिना सक्षम स्वीकृति प्रवेश रोकने तथा जानवरों के प्रवेश रोकने एवं बाहर करने की व्यवस्था करनी होगी। परिसर में शराबी, आवारा एवं भिखारियों को प्रवेश से रोकने तथा उन्हें परिसर से बाहर करने की जिम्मेदारी होगी।

(ज) किसी भी विवाद, दुर्घटना, हानि, चोरी या संपत्ति को नुकसान, परिसर में गंदगी फैलाने को रोकने की जिम्मेदारी होगी एवं घटित होने पर सूचना तत्काल संस्थान प्रशासन को लिखित रूप में दी जावेगी।

(2) **संस्थान में प्रवेश व्यवस्थाः–**

(अ) **स्थाई परिचय पत्रः–**

परिसर में स्थित कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी, चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ का प्रशासन द्वारा स्थाई परिचय पत्र जारी किये जावेंगे। वे कार्यालयीन समय में बिना रोक–टोक के आ जा सकेंगे। कार्यालयीन समय के बाद रूकने अथवा आने जाने वाले ऐसे परिचय पत्र धारी व्यक्तियों की प्रतिष्टि आगंतुक पंजी में की जावेगी।

माननीय सांसद/मंत्री/विधायकगण एवं शासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों हेतु कोई परिचय पत्र जारी नहीं किये जायेगा। इनकी सूचना सुरक्षा अधिकारी के पास उपलब्ध रहेगी। जो उन्हें ससम्मान प्रवेश की अनुमति देंगे। रोगियों तथा परिजनों एवं जनप्रतिनिधियों, प्रेस कर्मियों, अधिकारियों के साथ व्यवहार नम्रतापूर्वक एवं शिष्ट होना चाहिये। अशिष्टता एवं शारीरिक बल प्रयोग करने वाले सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति स्वीकार नही की जावें। दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने की कार्यवाही कम्पनी की होगी।

1. प्रेस तथा फोटोग्राफी से संबंधित कार्य के लिये प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की गेट पर प्रविष्टि सक्षम अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद देंगे।

(ब) **बाह्यरोगी विभागः–**

बाह्यरोगी विभाग (ओपीडी) भवन में कार्य समय सुबह 9.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक होगा। इस अवधि में सामान्यतः सभी को प्रवेश दिया जायेगा। केवल उन तत्वों पर निगरानी रखनी होगी जो बिना उचित कारण के तथा संदेहास्पद स्थिति में घूम रहे हों, अथवा व्यवस्था को हानि पहुँचा रहे हों। इस कार्य समय के बाद बाह्यरोगी विभाग आगंतुकों के लिये बंद हो जायेगा।

(3) **सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मचारियों को रखा जाना व तैनातीः–**

कम्पनी द्वारा संस्थान के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समुचित संख्या में सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करना होगा, उक्त कार्य हेतु अनुमानित कर्मचारियों की संख्या लगभग 8 (आठ) सुरक्षा एवं 4 (चार) सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिसे आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

24/12/21 24-12-21 24/12/21 24.12.21

(4) किसी भी तरह के नशे व धुम्रपान अस्पताल परिसर में प्रतिबंधित है। इसे लागू करने उचित प्रबंध करने होंगे।

(5) विभिन्न प्रकार के विस्फोटक की आवाजाही तथा उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(6) कम्पनी का भुगतानः—

(क) कम्पनी को एकमुश्त मासिक दर से भुगतान की जावेगी जिसमें सेवाशुल्क सहित सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित होगा।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त कम्पनी को किसी भी राशि का भुगतान नही किया जायेगा। पर्यवेक्षण, विविध अधिनियमों के पालन, कर्मचारियों को सामग्रियों का प्रदाय इत्यादि का समस्त व्यय कम्पनी को करना होगा, किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जावेगी।

(ग) कम्पनी के द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों, स्वत्वों एवं उनके अधिकारों तथा विवादों की कोई जिम्मेदारी संस्थान प्रशासन की नहीं होगी।

(घ) कम्पनी द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मचारी संस्थान प्रशासन के कर्मचारी नहीं होंगे। कार्य समाप्त होने पर उनकी कोई जिम्मेदारी संस्थान प्रशासन की नहीं होगी।

(7) अधिनियमों का पालनः—

कम्पनी को निम्न अधिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगाः—

(क) मिनिमम वेजेंस एक्ट 1948.

(ख) श्रम ठेका अधिनियम 1970.

(ग) एम्पलाई प्राविडेंट फण्ड एक्ट 1952.

(घ) डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेन्ट में पंजीकृत होना चाहिए अथवा आई.एस.ओ. प्रमाणित हो।

इसके अतिरिक्त किसी अधिनियम का यदि श्रम कानून के अन्तर्गत पालन अनिवार्य हो तो ऐसा करना होगा। तथा कम्पनी को श्रम विभाग से आवश्यक पंजीयन प्राप्त करना होगा।

शर्तें व नियमः—

(1) निविदा स्वीकारोपरान्त कम्पनी को महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर के साथ एक वर्ष का अनुबंध संपादित करना होगा।

24/12/21 24/12/21 24-12-21 24.12.21

(2) संस्थान प्रशासन द्वारा किसी भी समय एक माह की लिखित नोटिस द्वारा अनुबंध भंग किया जा सकेगा। अनुबंध भंग होने की स्थिति में कम्पनी को कारण जानने या किसी प्रकार की संभावित क्षति की पूर्ति हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(3) कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। सुरक्षा कर्मी को सुरक्षा कार्य हेतु उपयुक्त एवं शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम होना होगा। प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये कर्मचारियों को उनके अपराधिक रिकार्ड न होने के संबंध में पुलिस विभाग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये समस्त सुरक्षा कर्मचारी अनुबंधित कम्पनी के नियंत्रण में रहेंगे। किसी सुरक्षा कर्मचारी की अनुपस्थिति, अवकाश, बीमारी इत्यादि की स्थिति में कम्पनी को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिये किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं होगा।

(6) कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा। जिस हेतु प्रशासन द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। कम्पनी द्वारा मासिक रोस्टर तैयार कर प्रभारी अधिकारी से सत्यापित करवाना होगा।

(7) प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किसी भी समय कम्पनी द्वारा सुरक्षा हेतु रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों का निरीक्षण किया जावेगा। सुरक्षा कर्मचारी बिन्दु पर अनुपस्थित पाये जाने पर कम्पनी को देय मासिक भुगतान राशि से अनुपातिक कटौती की जावेगी। प्रभारी अधिकारी द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी का दैनिक सत्यापन किया जायेगा। कम्पनी को मासिक भुगतान राशि का भुगतान भी प्रभारी अधिकारी द्वारा देयक में माह के दौरान संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाणपत्र अंकित करने पर ही किया जावेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर दण्डस्वरूप मासिक भुगतान की राशि में अनुपातिक कटौती का अधिकार महानिदेशक को होगा। कम्पनी द्वारा साप्ताहिक उपस्थिति पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(8) कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये सुरक्षा कर्मी के आचरण एवं अनुशासन की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। किसी भी सुरक्षा कर्मचारी के असंवैधानिक अथवा अनैतिक कार्य में लिप्त पाये जाने पर अस्पताल प्रशासन ऐसे सुरक्षा कर्मचारी को तत्काल हटाने के निर्देश दे सकेगा। ऐसे सुरक्षा कर्मचारी के स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति के तत्काल रखने की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी।

(9) यदि किसी मामले में प्रशासन जांच करना या पुलिस में रिपोर्ट करना आवश्यक समझता है तो कम्पनी द्वारा इसकी समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर कम्पनी एवं उसके द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मचारी को, जबतक

24/12/21 24-12-21 24/12/21 24/12/21

प्रकरण का निबटारा नही हो जाता, तब तक साक्ष्य इत्यादि के लिये उपलब्ध रहना होगा।

(10) <u>सुरक्षा कार्य हेतु कम्पनी द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक होगा।</u>

(11) यदि संस्थान प्रशासन को आपात व्यवस्था (जैसे हड़ताल आदि) हेतु अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होती है तो कम्पनी को अस्थाई रूप से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करना होगा। जिसका निर्धारित दर से अतिरिक्त भुगतान प्रशासन द्वारा किया जावेगा।

(12) सुरक्षा कार्य हेतु कम्पनी द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों को परिचय पत्र, वर्दी, मोजा, जूता, रेनकोट, बन्दूक, कारतूस, टार्च व सेल तथा अम्य सुरक्षा सामग्री इत्यादि आवश्यकतानुसार प्रदाय करने की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। वर्दी का रंग संस्थान प्रशासन से चर्चानुसार तय किया जावेगा।

(13) कम्पनी को प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी को वर्दी पर लगाने हेतु नाम का बेज उपलब्ध कराना होगा तथा सभी सुरक्षा कर्मचारी को उसका परिचय–पत्र जिसमें कम्पनी एवं सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, अपने पास रखना तथा संस्था के अधिकारियों द्वारा मांग करने पर दिखाना आवश्यक होगा।

(14) कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी संस्थान प्रशासन की नहीं होगी।

(15) <u>आयकर नियमों के अनुसार कम्पनी को उक्त अनुबंध के आधार पर होने वाली आय, आयकर के योग्य होगी एवं नियमानुसार कम्पनी से आयकर की कटौती की जावेगी। आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</u>

(16) कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में बायोडाटा उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही भुगतान राशि का भुगतान प्रारंभ किया जायेगा। यदि कोई सुरक्षा कर्मचारी बदला जाता है तो उपरोक्तानुसार जानकारी नये कर्मचारी बाबत् भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(17) संस्थान प्रशासन को यह अधिकार होगा कि यदि कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये किसी सुरक्षा कर्मचारी को कम्पनी द्वारा श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के शर्तों का पालन न करने, पारिश्रमिक का भुगतान न करने अथवा अवैधानिक तरीके से पारिश्रमिक रोकने के कारण कोई हानि हुई हो तो कम्पनी को देय राशि से अथवा सुरक्षानिधि से उक्त राशि की कटौती कर संबंधित को भुगतान कर दें।

24/12/21 24-12-21 24/12/21

(18) कम्पनी द्वारा उक्त कार्य का पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं किया जा सकेगा।

(19) संस्थान प्रशासन द्वारा कम्पनी का मासिक भुगतान युक्तियुक्त अवधि में कर दिया जायेगा। किन्तु यदि किसी समय ऐसा संभव न हो तो कम्पनी उक्त देरी हेतु ब्याज अथवा हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(20) यदि कम्पनी को सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है अथवा कम्पनी द्वारा स्वयं को दिवालिया घोषित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है अथवा किसी न्यायालय द्वारा उसे सजा सुनाई जाती है तो संस्थान प्रशासन को निविदा निरस्त करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा निधि को जब्त करने का पूर्ण अधिकारी होगा।

(21) कम्पनी अथवा उसके द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों की लापरवाही, अपराध अथवा अनुपस्थितियों से यदि शासन को कोई हानि होती है तो उक्त हानि की क्षतिपूर्ति कम्पनी द्वारा की जावेगी।

(22) कम्पनी द्वारा अनुबंध संपादित करने के पूर्व रूपये अनुबंध राशि का तीन प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम से जारी बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगा। सुरक्षा निधि की वापसी निविदा समाप्त होने के उपरान्त तीन पूर्ण कलेण्डर माह व्यतीत होने पर यदि वसूली लंबित हो तो वसूली की राशि काटकर की जावेगी। किसी प्रकार के विवाद अथवा न्यायालय से प्रकरण लंबित होने की स्थिति में विवाद अथवा प्रकरण के निराकरण के उपरांत ही सुरक्षा निधि लौटाई जावेगी।

(23) कम्पनी को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय वृहत संस्थान में सुरक्षा संबंधी कार्य का कम से कम **दो वर्ष** का अनुभव होना अनिवार्य है। यह अनुभव संस्थान में किये जाने वाले कार्य के स्वरूप के बराबर होना चाहिये।

(24) संस्थान में किसी भी प्रकार की सामग्री की चोरी/गायब होने की स्थिति में उसके मुल्य की प्रतिपूर्ति देयक से कटौती कर की जावेगी।

(25) सफाई कर्मियों के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामग्री संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी, संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री प्रदान नहीं की जावेगी।

महानिदेशक
सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़
रायपुर (छ.ग.)

24/12/21

24-12-21

24/12/21

24.12.21

शपथ पत्र

मैं / हम...जिनकी संस्था / दुकान.. ....पता...जो कि निविदाकार हैं, हम यह घोषणा सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा के संदर्भ में कर रहे हैं, तथा यह घोषित करते है कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। इस संदर्भ में, अस्पताल प्रशासन / निविदाकर्ता, को जब इस निविदा के संदर्भ में किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा प्रदाय की जावेगी। मैं छत्तीसगढ़ शासन के न्यूनतम वेतन नियम कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) नियमों का पालन करूंगा। हमारी संस्था / फर्म को कभी–भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। हमे निविदा में दी गई सभी शर्ते एवं नियम स्वीकार हैं। हम निविदाकर्ता के बिना कारण बताये निविदा के स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार को स्वीकार करते है तथा हम उनके उक्त निर्णय को चुनौती देने के अधिकार का त्याग करते है।

सधन्यवाद

निविदाकार

दिनॉक

हस्ताक्षर ....

समय

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम ....

24-12-21

24/12/21

24.12.21

24/12/21

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ....

द्वारा ....संस्था में

दिनांक ....से.......................दिनांक तक वर्ष...........माह.............दिन.........का सुरक्षा

कार्य किया। उनका इस अवधि में कार्य संतोषजनक/असंतोषजनक था।

मेसर्स...द्वारा सिक्योरिटी सेवा अवधि में ....

सुपरवाइजर (संख्या).....................गार्ड (संख्या). ....तथा ....

सिक्योरिटी आफीसर की सेवायें दी।

प्रमाणित करने वाली संस्था का नाम

पूर्ण पता Email पता तथा फोन नं.

दिनांक.................

हस्ताक्षर

स्थान.....................

नाम.....................................

पद ....

24/11/12 24.12.21 24-12-21 24/12/21

Work Experience

क.	संस्था का नाम, पूर्ण पता एवं फोन नं.	कब से	कब तक	सेवा की अवधि	अनुबंधित राशि	अनुबंध समाप्ति का कारण
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

24/12/21 24/12/21 24-12-21 24/12/21

Pre qualification bid

S.No.	Name of Prequalification Document	
1	Name & Adress of company /agency with telephone & fax number and proof (current electric/telephone bill)	
2	Name & Adress of owner & partners of company /agency with telephone & fax number and proof (current electric/telephone bill)	
3	Scanned copy of EMD	
4	C. A. Certified Annual Turn over for last 3 financial year (2018—19, 2019—20, 2020—21).	
5	E.P.F. Registration Certificate of Company with Code Number	
6	License from Labour Deptt. Of Chhattisgarh Govt.	
7	PSARA (PRIVATE SECURITY AGENCY REGULATION ACT) REGISTRATION CERTIFICATE. from Home Deptt. Of Chhattisgarh Govt.	
8	Trade Licence / Gumasta Certificate of Chhattisgarh Govt.	
9	GST Registration Certificate of Chhattisgarh Govt.	
10	100 रु. के स्टाम्प में शपथ पत्र (निर्धरित प्रपत्र में)।	
11	शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय वृहद संस्थान में सुरक्षा कार्य का **दो वर्ष** का अनुभव एवं परफार्मेस सर्टीफिकेट (निर्धरित प्रपत्र में)।	
12	EPF clearance certificate/ Challan copies of EPF deposited during last financial year	
13	Power of attorney / Authorization for signatory (if required).	
14	Income Tax Clearance Cirtificate.	
15	ISO Cirtificate.	

Technical Bid

1. कंपनी/एजेंसी में उपलब्ध प्रशिक्षित (Trained) सुरक्षा गार्ड की सूची ट्रेनिंग सर्टीफिकेट फोटो सहित एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।
2. कंपनी/एजेंसी में उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की सूची फोटोयुक्त पहचान पत्र सहित।

24/12/21 24/12/21 24-12-21 24.12.21

Price Bid

Name of Item/Post	Minimum wages (As per applicable)	EPF	ESIC	Other Charges	GST	TOTAL
सिक्योरिटी गार्ड (Semi Skilled)						
सिक्योरिटी सुपरवाईजर (Skilled)						
सफाई कर्मी						

टीप–

1. कांट–छांट एवं ओवर राईटिंग होने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. सफाई कर्मियों के कार्य के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामग्री सहित दर प्रस्तावित करें।

CHECK-LIST

SNo	Name of Documents	Yes/No	Page No.	Remark
01.	Tender Fee (1000/-)			
02.	EMD (Security Deposit) Rs. 50,000/-(FDR)			
03.	कंपनी/एजेंसी का नाम पूर्ण पता, दूरभाष, ई–मेल/फेक्स क्रमांक सहित। (प्रूफ सहित–इलेट्रिकल बिल/टेलीफोन बिल)			
04.	कंपनी/एजेंसी के मालिक/भागीदारों का नाम पूर्ण पता, दूरभाष, ई–मेल/फेक्स क्रमांक सहित। (प्रूफ सहित–इलेट्रिकल बिल/टेलीफोन बिल)			
05.	कंपनी/एजेंसी का विगत 3 वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21) का सी. ए. द्वारा प्रदत्त टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र।			
06.	कंपनी/एजेंसी का ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट कोड सहित।			
07.	छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा जारी लाइसेंस।			
08.	छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी PSARA (PRIVATE SECURITY AGENCY REGULATION ACT) REGISTRATION CERTIFICATE.			
09.	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस/गुमास्ता प्रमाण पत्र।			
10.	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट।			
11.	कंपनी/एजेंसी का सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट।			
12.	100 रु. के स्टाम्प में शपथ पत्र (निर्धरित प्रपत्र में)।			
13.	शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय वृहद संस्थान में सुरक्षा कार्य का **दो वर्ष** का अनुभव एवं परफार्मेस सर्टीफिकेट (निर्धरित प्रपत्र में)।			
14.	गत वित्तीय वर्ष में जमा किए ई.पी.एफ के चालान की कापी।			
15.	Power of attorney / authorization for signatory.(if required)			
16.	कंपनी/एजेंसी में उपलब्ध प्रशिक्षित (Trained) सुरक्षा गार्ड की सूची एवं ट्रेनिंग सर्टीफिकेट फोटो सहित।			
17.	आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट।			
18.	आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट।			

24.12.21. 24-12-21 24/12